

ओ.डी.ओ.पी प्रशिक्षण और टूल-किट वितरण योजना

उद्देश्य

कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

पात्रताकीशर्तें:

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
- पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
- योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है।
- योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है

प्रोत्साहन

- जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
- अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत इन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।

सभी कारीगरों को प्रशिक्षण के समय, एक उन्नत टूल-किटविभाग द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा।